न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 52/2025 बउनवानी राजेश कुमार **बनाम** अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर
पुत्र देवनारायण शर्मा निलंबित राशन डीलर खण्डार तहसील खण्डार

GCMS No-2025/ 155

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	
9.7.2025	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 6.5.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर "*अति0मुख्य सतर्कता आयुक्त गृह विभाग, राजस्थान जयपुर के पत्रांक प.4(4)गृह–11/2023 दिनांक 10.5.2023 में अंकित बिन्दुओ पर दिनांक 6.5.2025 तक की गयी कार्यवाही की प्रमाणित सूचना*" अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1)के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांकःएफ.13(01)(60)/सूकाअ/2025/755 दिनांक 23.6.2025 का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 6.5.2025 मे चाही गयी सूचना का संबंध प्रभारी अधिकारी सतर्कता अनुभाग से होने के कारण लोक सूचना अधिकारी के पत्रांक 527 दिनांक 9.5.2025 से अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र प्रभारी अधिकारी सतर्कता अनुभाग को भिजवाया जाने पर प्रभारी अधिकारी सतर्कता अनुभाग के पत्रांक 595 दिनांक 21.5.2025 से वांछित सूचना अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत जवाब मे अंकित किया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है,कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 6.5.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र में चाही गयी सूचना प्रभारी अधिकारी सतर्कता अनुभाग के पत्रांक 595 दिनांक 21.5.2025 से अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है तथा उक्त संबंध मे आगामी कार्यवाही की जानकारी जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर के कार्यालय से प्राप्त करने बाबत अपीलान्ट को अवगत करवा दिया गया है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (काना राम) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर Signature Not Verified Digitally signed by Kana Ram Date: 2025.08.29 17:12:43 IST Reason: SelfAttested	

Scanned with OKEN Scanner